


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 1455/2015.....जिला.....चुरु.....

उनवान- 0 कानोडिया ट्रेडर्स, चुरु बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुंझू

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हु हुकम की तारी, में जारी हुए
29.02.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री ईश्वरी लाल वर्मा-सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी मै0 कानोडिया ट्रेडर्स, चुरु की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र जारी किया गया कर बोर्ड को दिनांक 29.02.2016 को प्राप्त हुआ है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वाद में विवादित सम्पूर्ण राशि वाणिज्यिक कर विभाग, झुंझू में जमा करवा दी गयी है। हम वाद में आगे कोई सुनवाई नहीं चाहते है। हम वाद को स्वयं की तरफ से वापस लेना चाहते है। अतः वाद का निपटारा पूर्ण करने का कष्ट करे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>अतः प्रस्तुत अपील संख्या 1455/2015/चुरु जरिये विद्वान (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य</p>	